अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाकुलिया।

पत्रांक – 1275 /दिनांक – 22-11-22

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
चाकुलिया।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
चाकुलिया नगर पंचायत।

विषय :– श्रीमती विनीता लोधा पति श्री अलोक कुमार लोधा द्वारा धारित भूमि का सत्यापन करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 840 दिनांक– 16.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध राजस्व अभिलेख से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है।

प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि मौजा– सुगनीबासा, थाना नं0– 344, खाता नं0– 63, प्लॉट नं0– 482/597, रकवा– 24.8 डि0 नामांतरण मुकदमा संख्या– 573/2020–21 के तहत् पंजी–2 के भाग संख्या– 6 पृष्ठ संख्या– 21 में एवं खाता नं0– 63, प्लॉट नं0– 482/597, रकवा– 15 डि0 नामांतरण मुकदमा संख्या– 45/2022–23 के तहत् पंजी–2 के भाग संख्या– 6 पृष्ठ संख्या– 39 में दर्ज है।

हाल सर्वे खतियान 1964 के अनुसार खाता नं0– 63, प्लॉट नं0– 482/597 रकवा– 42 डि0 किस्म– गोड़ा दो खतियानी रैयत रामरतन लोधा पिता– घासीराम लोधा है।

उक्त भूमि CNT Act की धारा 46 (क)(ख) से प्रभावित नहीं है तथा किसी विभाग के द्वारा अर्जित नहीं की गई है। आवेदक के द्वारा दखल कब्जा कायम है। उक्त भूमि की घेरावंदी चार दीवारी से किया गया है एवं लगभग 30'x40' फीट का भवन पूर्व से ही निर्मित है।

अतः प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई प्रेषित।

विश्वासभाजन

22/11/22

अंचल अधिकारी,
चाकुलिया।

22/11/22